अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)

मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/एमडीईएम/एफ.सी.आई./खाद्यान्न उ0वि0आ0/पार्ट/2019–20/89 दिनांक : 23.04.2019

1.जिला रसद अधिकारी, समस्त

2. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)
प्रारम्भिक शिक्षा , समस्त

विषयः– वित्तीय वर्ष 2019–20 के प्रथम त्रैमास के लिये आवंटित खाद्यान्न (गेहूं/चांवल) के उठाव एवं विद्यालयों तक वितरण करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग के आदेश क्रमांक 37 दिनांक 05.04.2019 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के प्रथम त्रैमास के लिए खाद्यान्न (गेहूं /चांवल) का आवंटन किया जा चुका है। सम्भवतः आप द्वारा आवंटन अनुसार उठाव प्रारम्भ कर दिया होगा । यदि खाद्यान्न का उठाव अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है तो तत्काल खाद्यान्न के उठाव की कार्यवाही सुनिश्चित करावें। खाद्यान्न उठाव के अभाव में यदि आवंटन Lapse होता है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं किसी भी परिस्थिति में उठाव की अवधि नहीं बढाई जायेगी। उठाव की सूचना तत्काल विभागीय ई–मेल पर भिजवायें।

खाद्यान्न का किसी स्तर पर दुरूपयोग एवं कालाबाजारी न हो इसके लिये जिला एवं ब्लाक स्तर पर दल गठित कर परिवहन ठेकेदार द्वारा खाद्यान्न वितरण के समय नियमित मोनिटरिंग की जावे एवं परिवहनकर्ता के स्टॉक की आवश्यक रूप से जॉच की जावे । विद्यालयों में खाद्यान्न तौलकर ही प्राप्त किया जावे इस सम्बन्ध में विद्यालयों को आवश्यक निर्देश प्रदान करें । विद्यालय निरीक्षण के दौरान खाद्यान्न का स्टॉक से मिलान करें।

मिड डे मील कार्यक्रम संचालित विद्यालयों मे मॉग अनुरूप एवं समय पर खाद्यान्न का वितरण किया जाना सुनिश्चित करें ताकि विद्यालय में खाद्यान्न की कमी नहीं रहे एवं छात्रों को पोषाहार से वंचित नहीं रहना पडे।

www.rajteachers.com

अति.आयुक्त (वित्त)
मिड डे मील

एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/एमडीईएम/एफ.सी.आई./खाद्यान्न उ0वि0आ0/पार्ट/2018–19/ दिनांक :

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1 समस्त जिला कलक्टर।
2 सहायक महाप्रबन्धक (स्कन्ध एवं बिक्री), भारतीय खाद्य निगम, जयपुर।
3 रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (प्रशासन)